प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक – 6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 06 – 13 फरवरी 2017 मूल्य पांच रूपए

लगातार कम होती जा रही है प्रदेश को बिजली से आय

शिमला/बलदेव शर्मा

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार क्षमता है और इस क्षमता का दोहन भी किया जा रहा है। इसी क्षमता के आधार पर प्रदेश को विद्युत राज्य प्रचारित और प्रसारित किया गया। यही प्रचार-प्रसार उद्योगपतियों के आकर्षण का केन्द्र बना। विद्युत उत्पादन में भी निजि क्षेत्र ने हिमाचल का रूख किया और `आज प्रदेश में कुल उत्पादित विद्युत – में से राज्य के बिजली बोर्ड के पास केवल 487 मैगावाट ही है और शेष सारी संयुक्त क्षेत्र या निजि क्षेत्र के पास है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 1990 में शान्ता के शासन काल में जेपी उद्योग समूह ने पैर रखा था। शांता सरकार ने जे पी को स्थापित करने के लिये बसपा- जिस पर बिजली बोर्ड काम कर रहा था, बोर्ड से लेकर जेपी को थमा दिया था। उस वक्त तक बोर्ड इस पर करीब 16 करोड़ खर्च कर चुका था। जे पी के साथ हुए अनुबन्ध में जेपी ने बोर्ड को यह पैसा ब्याज सहित वापिस करना था लेकिन जब जेपी ने यह पैसा नही लौटाया तो यह राहत दी गयी कि जब प्रौजैक्ट उत्पादन में आ जायेगा तब इस पैसे की वापसी होगी। 2003 से इसमें उत्पादन भी शुरू हो गया लेकिन जेपी से यह वसूली नही की गयी। इसके लिये तर्क दिया गया कि यदि यह वसूली की जायेगी तो इसका भार अन्ततः उपभोक्ता पर पड़ेगा। इस तरह करीब 92 करोड़ रूपया बट्टे खाते में डाल दिया गया। कैग रिपोर्ट में इस पर गंभीर आपत्ति उठायी गयी है। लेकिन कोई भी सरकार जेपी से यह वसूली नहीं कर पायी है। इसी तरह जेपी ने कडछम बांगतू परियोजना में भी दो सौ मैगावाट की क्षमता अपने आप बढ़ा ली और सरकार को उस पर अपफन्ट प्रिमियम नही मिला। कैग ने इस पर भी सवाल उठाये है लेकिन सरकार पर कोई असर नही हुआ है।

1990 में जब जेपी उद्योग ने प्रदेश में विद्युत उत्पादन में पैर रखा था उस समय निजि क्षेत्र की परियोजनाओं से 12% विद्युत रॉयल्टी के रूप में फ्री लेने का फैसला शान्ता सरकार ने लिया था और इस फैसले की बहुत सराहना हुई थी बल्कि इसी के आधार पर यह दावे किये गये थे कि अब सरकारी खजाने में पैसे की कोई कमी नही रहेगी। लेकिन 12% फ्री रॉयल्टी के साथ यह भी फैसला हुआ कि शेष बची 88% बिजली को भी बोर्ड ही खरीदेगा और उसके बाद निजि क्षेत्र की सारी परियोजनाओं के साथ विद्युत खरीद के समझौते साईन हुए। लेकिन यह पीपीए किस रेट पर साईन हुए है। इसको कभी सार्वजनिक नही किया गया है। इसी के साथ ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ऐसे में ट्रांसमिशन में हो रहे नुकसान की कीमत भी सरकार को चुकानी पड़ रही है। 12% मुफ्त रायल्टी के फैसले के साथ 88% के लिये पीपीए साईन करना और ट्रासमिशन की जिम्मेदारी लेना ऐसे पक्ष है जिनके कारण बोर्ड लगातार घाटे में चल रहा है। आज स्थिति यह हो गयी है। बोर्ड को इन परियोजनाओं से पीपीए के कारण मंहगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है और आगे सस्ती दरों पर बेचनी पड़ रही है क्योंकि अब दूसरे राज्यों ने भी पावर प्रौजैक्टस स्थापित कर लिये है बल्कि इस कारण हर वर्ष बोर्ड की बहुत सारी बिजली बिकने के बिना रह रही है। इसका असर बोर्ड की अपनी परियोजनाओं पर भी रहा है बोर्ड के सारे प्रौजैक्टस में हर वर्ष हजारो घन्टो का शटडाऊन कई वर्षो से लगातार चलता है बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक इस शटडाऊन से प्रतिदन करोड़ो का नुकासान हो रहा है लेकिन बोर्ड प्रबन्धन और सरकार इस शटडाऊन को लेकर संबधित अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कारवाई नही कर पा रही है। जबकि निजि क्षेत्र की किसी भी परियोजना में इतने बडे स्तर पर कभी शटडाऊन सामने नही आया है। माना जा रहा है कि इस शटडाऊन के पीछे निजि क्षेत्र का दवाब है क्योंकि यदि बोर्ड के अपने प्रौजैक्टस में उत्पादन सुचारू रहता है तो प्रबन्धन को उस उत्पादन की बिक्री पहले सुनिश्चत करनी होगी जिसका असर निजि क्षेत्र पर भी पडेगा। इस सुनियोजित शटडाऊन को लेकर विजिलैन्स के पास भी पिछले करीब तीन वर्षो से शिकायत लंबित है। इस शिकायत पर सचिव पावर की ओर से जो जवाब विजिलैन्स को गया है उससे सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इसमें लापरवाही हो रही है लेकिन इस पर न तो सरकार ओर न ही विजिलैन्स कोई कड़ी कारवाई कर पा रही है क्योंकि इसकी गहन जांच मे कई चौकाने वाले खुलासे सामने आने का डर है।

लेकिन आज इस स्थिति के कारण सरकार को बिजली से होने वाली आमदनी में हर वर्ष लगातार कमी होती जा रही है जबकि हर वर्ष सरकार बजट से पहले या बाद में बिजली के रेट बढ़ाती रही है। जबकि हर वर्ष सरकार बजट और नॉन टैक्स के रूप के मे जो आय हो रही है। वह एक बडे खतरे का संकेत है। इस आय के आंकडे यह है।

Non Tax Revenue

वर्ष	आय	कुल राजस्व का प्रतिपक्ष
12-13	637.15	46.281%
13-14	696.29	37.08 %
14-15	1121.15	54.01 %
15-16	650.00	43.13 %
16-17	700.00	41.95 %

Tax Revenue

वर्ष	आय	कुल राजस्व का प्रतिपक्ष
12-13	262.62	5.68%
13-14	191.36	3.74%
14-15	332.82	5.60%
15-16	308.45	4.86%
16-17	339.30	4.54%

राज्य सरकार को अपने साधनों से टैक्स और नॉन टैक्स के रूप मे जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें विद्युत बड़ा स्त्रोत है इस स्त्रोत में वर्ष 12-13 में कुल नॉन टैक्स राजस्व का 46.28% विद्युत से मिला था जो कि 16-17 में घटाकर 41.95% रह गया है। इसी तरह का कुल टैक्स राजस्व सरकार ने समय रहते बिजली नीति में परिवर्तन न किया तो आने वाले समय में एक बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा।

वीरभद्र और विक्रमादित्य ने क्यों बदला स्टैण्ड

शिमला/बलदेव शर्मा

वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपने सरकारी आवास ओकओवर में संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि अगले चुनाव में शिमला ग्रामीण से उनके स्थान पर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह प्रत्याशी होंगे। उन्होने कार्यकर्ताओं से अपने बेटे के लिये पूरा सक्रिय समर्थन मांगा और साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि शिमला ग्रामीण के लोगों को उनका सहयोग भी बराबर मिलता रहेगा वीरभद्र ने शिमला ग्रामीण से अपने बेटे की उम्मीदवारी की घोषणा करके दूसरे लोगों को यह सोचने पर लगा दिया कि ऐसे में वीरभद्र स्वयं कहां से चुनाव लडेंगे। क्योंकि जब उनको सातवी बार मुख्यमन्त्री बनाने की घोषणा विद्या स्टोक्स जेसी वरिष्ठ मन्त्री कर चुकी है तो स्वाभाविक है कि वो कहीं से तो चुनाव लडेंगे ही। इसी के परिणामस्वरूप पार्टी के अन्दर उनकी घोषणा को लेकर प्रति क्रियाएं भी उभरी। लेकिन इस घोषणा के तीसरे ही दिन विक्रमादित्य का ब्यान आ गया कि उनके चुनाव क्षेत्र के बारे में हाईकमान ही फैसला लेगी। विक्रमादित्य सिंह के बाद स्वयं वीरभद्र सिंह ने यह ब्यान दे दिया कि उन्होने यह सब हल्के लहजे में कहा था और अभी इस बारे में कोई फैसला नही हुआ है।

वीरभद्र और विक्रमादित्य सिंह को जानने वालों के लिये इनका स्टैण्ड बदलना एक गंभीर राजनीतिक कदम है। क्योंकि वीरभद्र ने हर बार अपने लिये कुर्सी का प्रबन्ध हाईकमान से लड़कर ही किया है। अब विक्रमादित्य को विधानसभा में देखने के लिये वीरभद्र सिंह को उसके लिये एक सुरक्षित चुनाव क्षेत्र का प्रबन्ध तो करना ही पड़ेगा। फिर अपने चुनाव क्षेत्र से ज्यादा सुरक्षित स्थान और कौन सा हो सकता है। शिमला ग्रामीण में वीरभद्र सैंकड़ो करोड़ के विकास कार्यो की घोषणा पहले ही कर चुके है। महत्वपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ताओं/नेताओं की रोजी रोटी का भी अच्छा जुगाड़ किया जा चुका है। ऐसे में यह तय है कि विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से ही उम्मीदवार होगे। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वीरभद्र ने अपना स्टैण्ड क्यों बदला? क्या हाईकमान के स्तर पर वीरभद्र घोषणा को गंभीर से लिया गया है। क्योंकि पिछले दिनों जब राहूल गांधी धर्मशाला

आये थे उस समय परिवहन मन्त्री जी एस बाली को जिस ढंग से मंच पर जगह नही दी गयी थी उसको लेकर जो तनाव उभरा था वह अब तक बरकरार है। उसके बाद ही बाली को उत्तराखण्ड में जिम्मेदारी मिली। जिसका राजनीतिक हल्कों में यह सन्देश गया था कि अब बाली वीरभद्र पर भारी पडते जा रहें है।

इसके अतिरिक्त वीरभद्र सिंह ने सुक्खु से प्रदेष अध्यक्ष छीनने के लिये सब कुछ दाव पर लगा दिया है। हर्षमहाजन और आशा कुमारी वीरभद्र सिंह की अध्यक्ष पद के लिये पहली पंसद है। इनके बाद सुधीर शर्मा है। लेकिन वीरभद्र सिंह अभी तक अपनी इस गेम में सफल नही हो पा रहे है। सूत्रों की माने तो अब जब वीरभद्र ने विक्रमादित्य की उम्मीदवारी घोषित की तो उनके विरोधियों ने इसकी जानकरी तुरन्त हाईकमान तक पहुंचा दी और हाईकमान ने इस पर अप्रसन्नता जाहिर की है। हाईकमान की अप्रसन्नता के कारण ही वीरभद्र ने अपना स्टैण्ड बदला है। माना जा रहा है कि हाईकमान ने एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने के फैसले पर कडाई से अमल करने का मन बना लिया है। अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे है उनमे भी इस सिद्धान्त पर अमल किया गया है। इस बार यदि पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाती है और उत्तर प्रदेश में भी उसकी परफारमैन्स बेहतर रहती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को इससे ताकत मिलेगी। इससे कांग्रेस की पूरी बागडोर राहूल गांधी के नियन्त्रण में आ जायेगी। माना जा रहा है कि वीरभद्र कमजोर हाईकमान को आंखे दिखाकर अपनी ईच्छानुसार प्रदेश में अपनी सुविधा के मुताबिक फैसले ले लेते है लेकिन इस बार राहूल गांधी के साथ भी ऐसा कर पायेंगे इसको लेकर जो सन्देह माना जा रहा है। फिर यूपी चुनावों में राम मन्दिर को लेकर जो ब्यान दिया है वह एकदम कांग्रेस की अब तक की घोषित लाईन से एकदम विपरीत रहा है। इसी तरह का एक ब्यान वीरभद्र आरक्षण को लेकर भी दे चुके है। यह दोनों ब्यान आरएसएस और भाजपा की लाईन के समर्थन की गन्ध देते है वीरभद्र जैसा वरिष्ठ नेता इन मुद्दों पर पार्टी लाईन से हटकर क्यों स्टैण्ड ले रहा है? क्या हाईकमामन ऐसे स्टैण्ड को स्वीकार कर पायेगी? माना जा रहा कि वीरभद्र के इन ब्यानों को भी हाईकमान ने गंभीरता से लिया है? संभवतः इसी के कारण वीरभद्र को अपना स्टैण्ड बदलना पड़ा है।

राज्यपाल ने किया एनसीसी कैडेटों को सम्मानित

शिमला/शैल।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर में हिमाचल प्रदेश से भाग लेने वाले 25 कैडेटों को सम्मानित किया। ग्रुप कमांडर, एनसीसी मुख्यालय शिमला ब्रिगेडियर ललित जोशी ने इन एनसीसी कैडेटों तथा अन्य अधिकारियों के साथ राजभवन शिमला में राज्यपाल से भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी देश का प्रधान युवा संगठन

है तथा इसका राष्ट्र निर्माण में उच्चतम योगदान है। यह युवाओं की ऊर्जा को व्यापक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सृजनात्मक शक्ति में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार से कम से कम एक युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है तथा हमें अपने सैनिकों पर गर्व है कि उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के लिए अनेक मेडल जीते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं देने में अधिक सक्षम हैं। उन्होंने पंजाब की तर्ज पर राज्य में एनडीए अकादमी खोलने की कैडेटों की मांग का पूर्ण रूप से समर्थन किया।

राज्यपाल ने एनसीसी प्राधिकरण को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिलासपुर जिला में एनसीसी अकादमी के लिए आवश्यक निवास संबंधित प्रस्ताव को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने एनसीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह एनसीसी गतिविधियों को विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य करने के पक्ष में है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास तथा नेतृत्व के गुण संचारित होते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों तथा स्वच्छता अभियानों में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैडेटों को युवाओं को नशों के दुष्प्रभावों के बारे जागरूकता पैदा करनी चाहिए तथा एक नशामुक्त समाज की संरचना में योगदान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए विलक्षण सम्मान का अवसर है कि लगातार दूसरी बार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ (पीएचएचपी एंड सी) टुकड़ियों का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के एक ऑफिसर ने किया और कठिन परिश्रम तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप (पीएचएचपी एंड सी) निदेशालय ने समग्र प्रतियोगिता प्रधानमंत्री ट्रॉफी एंड बैनर को लगातार तीसरी बार जीता।

ग्रुप कमांडर, एनसीसी मुख्यालय, ब्रिगेडियर ललित जोशी ने बताया कि प्रदेश से 25 कैडेट ने शिविर में भाग लिया, जिनमें 14 लड़कें तथा 11 लड़कियां शामिल थीं। इसके अलावा, ऑफिसर पूजा देवी ने लड़कियों के ड्रिल दल का दल कमांडर के रूप में नेतृत्व किया। उन्हें राजपथ पर परेड के लिए चुना गया और प्लेटून कमांडर बनाया गया तथा ऑल राउंड प्रदर्शन के लिए डीजी एनसीसी कमडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि राजपथ पर परेड में निदेशालय लड़कों के ड्रिल दल का नेतृत्व विनीत रोल्टा ने किया। इसके अतिरिक्त, 11 कैडेटों ने राजपथ पर परेड में भाग लिया तथा शेष 13 कैडेटों ने प्रधानमंत्री रैली की परेड में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने दिए गौ सदनों के पंजीकरण के निर्देश

शिमला/भारती शर्मा

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आवारा और छोड़े गए पशुओं की पहचान के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की जानी चाहिए, जिस पर कम लागत आए, व्यावहारिक हो और पशुओं को भी कोई नुकसान न पहुंचे। वह गौ वंश सम्वर्द्धन बोर्ड की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पशुओं की सटीक गणना करने की आवश्यकता है और यह प्रावधान भी आवश्यक है कि जो पशु अपनी गाय अथवा बैल छोड़ देता है, उसे पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि उन सभी गौ सदनों का पंजीकरण करने की आवश्यकता है, जो उचित प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं और इनको चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। उन्होंने गौ सदनों के नियमित निरीक्षण पर जोर देते हुए कहा कि न केवल जिला स्तर के अधिकारी बल्कि मुख्यालय के अधिकारियों को भी निरीक्षण के लिए जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला के नुरपूर के अंतर्गत खजियां में सरकार के नियंत्रण के अधीन चल रहे गौ सदन के विस्तार की आवश्यकता है,जहां अधिक शेड बनाने के साथ-साथ पर्याप्त स्टाफ की भी जरूरत है।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गायें दूध देना बंद कर देती है और जो बैल हल जोतने योग्य नहीं रह जाते, लोग उन्हें आवारा छोड़ देते

हैं। सरकार ने गायों के संरक्षण और नई प्रजातियों के विकास के लिए बोर्ड का गठन किया है। इसके अंतर्गत स्थापित गौ सदनों पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव ओंकार चंद शर्मा ने जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 130 गौ सदन हैं और गायों के लिए 95 और शैल्टर होम निर्मित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में सभी गौ सदनों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें और गौ सदनों के मालिकों को इनका पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में सुझाव आया कि गौ सदनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। गैर-सरकारी सदस्यों ने सुझाव दिया कि चारे का विशेष रूप से प्रावधान किया जाए, जो गौ सदनों के संचालन के लिए मूलभूत आवश्यकता है। उनका यह भी सुझाव था कि सरकारी कर्मचारियों की राय ली जाए कि क्या वे अपनी आय से कुछ धनराशि स्वेच्छा से गौ सदनों को भेंट करना चाहते हैं। एक अन्य सुझाव में मंदिर, न्यासों से भी स्वेच्छिक रूप से गौ सदनों के संचालन अथवा अपनी आय का कुछ हिस्सा इनके संचालन के लिए देने का प्रस्ताव रखा जाए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स की पुत्री सुधा स्टोक्स ने भी कई सुझाव दिए और कहा कि वह अमेरिका में नवीनतम और कम लागत वाली ऐसी तकनीक का पता लगाने में मदद करेगी, जिससे अपनी गाय या बैल को आवारा छोड़ने वाले लोगों का पता लग सके।

स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि में वृद्धि

शिमला/रीना

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन के अवसर पर संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों की 'सम्मान राशि' को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये तथा स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं और अविवाहित पुत्रियों की पेंशन को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की अंतिम संस्कार राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये तथा स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं की अंतिम संस्कार राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने पुत्रियों तथा पौत्रियों के विवाह की अनुदान राशि को 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड में स्वतंत्रता सेनानियों के वार्डों से दो सदस्यों को नामित तथा राजस्व दस्तावेजों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को स्थाई रूप से दर्ज करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी में बैकलॉग को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने छः महीनों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक जाने वाली सड़कों के लंबित पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण करने तथा सरकारी नौकरी में वर्तमान दो प्रतिशत आरक्षण में स्वतंत्रता सेनानियों की विवाहित पुत्रियों तथा पौत्रियों को लाने के निर्देश भी दिए।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER "E-PROCUREMENT NOTICE" INVITATION FOR BODS(IFB)

Executive Engineer, Dalhousie Division HPPWD Dalhousie on behalf of Governor of Himachal Pradesh invited the item rate bids in electronic tendering system for construction of the following works form the eligible and approved contractors registered with HPPWD.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs)	Earnest Money (Rs)	Cost of Tender form (Rs)	Class	Completion Period
1.	AMP on Chambi to Lahri road (SH: P/L 20 mm thick Premix Carpet Seal Coat and U-Shape drain at km 1/0 to 3/0 for during the year 2017-18)	13,54,185/-	27,100/-	500/-	Class "D" & above	02 Month.

1. Date of release of invitation for Bids through e- procurement **15.02.2017**
2. Cost of Bid Form : As mentioned above (non-refundable) in form of demand draft in favour of Executive Engineer Dalhousie HPPWD Dalhousie (HP)
3. Availability of Bid Document and mode of submission : The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in. Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the **Website: https://hptenders.gov.in.** in /digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
4. Submission of Original Documents:- the Original instruments in respect of cost of documents and EMD should be submitted to the Tender inviting Authority i.e. Executive Engineer Dalhousie HPPWD. Dalhousie by registered post Courier latest (3) working days from the day of technical bid opening.
5. Last Date /Time for receipt of bids through e- tendering date **07.03.2017 upto 11:00AM**. And will bees opened on same day at **11:30AM.**
6. The site for the work is available.
7. The Bidder shall submit the Affidavit for not having more than two works at time of opening Bid.
8. Only online submission on bids is permitted , bids must be submitted online on website http://hptenders.gov.in. The bid shall be opened on **07.03.2017 at 11:30 AM** in the office Executive Engineer Dalhousie Division HPPWD. Dalhousie by the authorized officer . In the interest of tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders if the office happened to be closed on the date of opening of the bids as specified the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control .Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.- 4153/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER "NOTICE INVITING TENDERS"

Sealed item rate tender on form 6&8 are invited by the Executive Engineerr Mandi Division No. II HPPWD Mandi for the following from thee approved and eligible contractors enlisted in HPPWD so as to reach in his office on or before **20.02.2017 upto 11:30 A.M.** and will be opened on the same day at 3:30 P.M. in the presence of interesting contractors or their authorized representatives who may like to be present. If it happen to be holiday on the tender will be open on next working day.The application for obtaining the tender form will be received up to 4:00 PM. On 17.02.2017 and EMD should be attached during the submission of application for obtaining the tender form. Without EMD application will not be accepted and the tender form can be from this office against cash payment (Non-refundable) up to 3:00 P.M. on 18.02.2017.

The earnest money in the shape of National Saving Certificate /Time deposit accounts / saving account in any of the Post Office and Banks of Himachal Pradesh duly pledged in favour of the Xen must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The earnest should be attached with the application. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive engineer reserves right to reject the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of form	Time
1.	AMP for the year 2017-18 on Nalsar to Chunahan road DRRP No. HP 0810VR 0053 (SH:- Providing and Laying bituminous concrete with interlocking concrete block pave in various reaches at km 0/0 to 1/0)	793161/-	15900/-	350/-	One Month.
2.	AMP for the year 2017-18 on Syanh to Dhaban Bhiarta road DRRP No. HP 0810VR 0057 (SH:- Providing and Laying bituminous concrete with interlocking concrete in km 4/0 to 5/0)	770398/-	15500/-	350/-	One Month.
3.	AMP for the year 2017-18 on Sain to Sandoh road DRRP No. HP 0810MRL128 s (SH:- Providing and Laying bituminous concrete in km 9s/0 to 10/0)	770398/-	15500/-	350/-	One Month.
4.	AMP for the year 2017-18 on Manjhyali to reur road DRRP No. HP 0810VR0091 (SH:- Providing and Laying bituminous concrete in km 3/0 to 4/0)	770398/-	15500/-	350/-	One Month.
5.	AMP for the year 2017-18 on Saigaloo to Kasan road DRRP No. HP 0805VR0112 (SH:- Providing and Laying bituminous concrete in km 0/0 to 1/0) PMGSY	770398/-	15500/-	350/-	One Month.
6.	AMP for the year 2017-18 on Sain to Gujra Ra Ropru road DRRP No. HP 0810MRL107 (SH:- Providing and Laying bituminous concrete in km 1/0 to 2/0)	853631/-	17000/-	350/-	One Month.
7.	AMP for the year 2017-18 on Manjhyali to Block Bondry road DRRP No. HP 0810MR093 (SH:- Providing and Laying bituminous concrete in km 0/0 to 1/0)	853631/-	17000/-	350/-	One Month.
8.	AMP for the year 2017-18 on Galma Manjhyali to road DRRP No.HP 0810VR0075 (SH:- Providing and Laying bituminous concrete with interlocking concrete block paver various reaches at km 3/0 to 4/0) PMGSY	793161/-	15900/-	350/-	One Month.

GENERAL CONDITIONS:
1. Thee tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. The name of one No. similar type work executed successfully and work done performance certificate issued by the concerned Executive Engineer required to be produce by the contractor along with application.
3. The contractors whose rates are abnormally low may be asked to furnish the full justification of his rate failing which he will be debarred to compete in tendering for four months.
4. The contractor will not have more than two works in hand at the time of tender and only up to completion of work satisfactory including adherence to quality parameters further work will be awarded to him All under taking that he is not having more than two works in hand must be recorded in the application.

Adv. No.- 4039/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

मुख्यमंत्री ने की घटती जैव विविधता पर चिंता व्यक्त

शिमला/शैल।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड(एचपीएसबीबी) द्वारा '**जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना: लोगों और उनकी आजीविका को कायम रखना**' विषय पर यहां आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जैव विविधता जीवन का आधार है। पारिस्थितिकी से मिलने वाली आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारें केवल संरक्षण ही नहीं बल्कि सतत् आर्थिक विकास के लिए जैव विविधता की ओर विशेष ध्यान दे रहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों द्वारा अरक्षणीय उपभोग के चलते जैव विविधता प्रभावित हो रही है। जैव विविधता में गिरावट मानव विकास के लिए गंभीर चेतावनी है तथा हमें प्राकृतिक संसाधनों के विध्वंस, फसलों की अत्याधिक कटाई, प्रदूषण इत्यादि पर रोक लगाना चाहिए। सभी को एकजुट होकर अपने प्रयासों से इन प्रचलनों को खत्म करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण, जैविक स्त्रोतों का उपयोग तथा व्यावसायिक या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भारत में घटने वाली संबंधित जानकारी या जैविक सर्वेक्षण तथा जैविक उपयोग के उद्देश्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैव विविधता संरक्षण के प्रथम चरण के लिए शिमला, चम्बा, कुल्लू तथा सिरमौर जिलों को चयनित किया गया था तथा 200 जैव विविधता समितियां गठित की गई। उन्होंने कहा कि वनस्पति तथा पशु विविधता के लिए प्राकृतिक ठिकानों को बचाने में संरक्षित क्षेत्रों की अहम भूमिका है। हालांकि, इससे लोगों का प्रवेश निषेध हो जाता है, परन्तु वनस्पति तथा पशु विविधता के संरक्षण में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों के सहयोग के बिना संरक्षण

नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से उनकी संबंधित पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समितियां संगठित करने पर बल दिया। राज्य सरकार ऐसी पंचायतों को 60,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी, ताकि जैव विविधता अधिनियम प्रभावी रूप से लागू किया जा सके तथा जैव विविधता रजिस्टर को सही रूप से तैयार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव विविधता में गिरावट रोकने और लोगों को जैविक विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्थ बनाने से लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि विश्व के 70 प्रतिशत निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा जैव विविधता पर निर्भर हैं।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान में फसलों की पौष्टिक गुणवत्ता में गिरावट पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसान केवल वही फसलें तथा सब्जियां पैदा कर रहे हैं, जो उन्हें उच्च दाम प्रदान करती हैं, लेकिन इस प्रचलन से भविष्य में पारम्परिक फसलों पर पूर्ण रूप से विलुप्त होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि पारम्परिक फसलों के बारे जानना तथा उनके मूल्यों को समझना आवश्यक है। हमें प्राकृतिक स्त्रोतों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के अलावा जैव विविधता में गिरावट को रोकने के लिए लोगों, नागरिक समाज, सरकार तथा निगमों का सहयोग निर्णायक सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य तथा जैव विरासत के संरक्षण में लोगों का सहयोग बेहद आवश्यक है और तभी हिमाचल प्रदेश पेड़-पौधों, जीव-जंतु तथा पर्याप्त प्राकृतिक स्त्रोतों से समृद्ध बना रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हम जैव विविधता को सहभागी लाभ तथा सामाजिक विकास के लिए सहायक नहीं मानते, तब तक सरकार जैव विविधता के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगी। विकास के साथ संरक्षण जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के 1.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का उद्घाटन भी किया तथा जैव विविधता बोर्ड की वैबसाईट www.agosac.gov.in का शुभारम्भ भी किया, जो जैव स्रोतों के संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त जैव विविधता रजिस्टर को तैयार करने के दिशा-निर्देशों की एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

पर्यावरण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव तरूण कपूर ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी।

शिमला जिला के सात विकास खंडों तथा के पंचायत प्रधान तथा पांच वन मण्डलों ने भी प्रशिक्षण के प्रति अपनी फीडबैक दी। उन्होंने ऐसी कार्यशालाओं को पंचायत तथा खण्ड स्तर पर आयोजित करने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री को सौंपी पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

शिमला/जे पी भारद्वाज

पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुलदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए जिला परिषद तथा पंचायत समितियों को निधि जारी नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री तथा विभाग ने यह मामला केन्द्र सरकार के समक्ष कई बार उठाया है, फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि पांचवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि जिला परिषद तथा पंचायत समितियों को विकासात्मक कार्य करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

कुलदीप कुमार ने कहा कि आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि केवल ग्राम पंचायतों को ही वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी जबकि राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी निधि प्रदान की जाए।

पंचायती राज संस्थानों के अन्य मामलों पर आयोग ने राज्य सरकार को जिला परिषद के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने तथा पंचायत समितियों को विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध करवाने की भी सिफारिश की थी।

छोटे व सीमांत किसानों को मालिकाना हक दिलाने के लिए शीघ्र बनेगी योजना

शिमला/जे पी भारद्वाज

छोटे व सीमांत किसानों को एकमुश्त राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार उन्हें सरकारी भूमि पर कब्जा के मालिकाना हक दिलाने के लिए एक योजना बना रही है। राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने राज्य में

अतिक्रमण के मामलों के आकलन एवं समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार छोटे व सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों के आजीविका के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने एक योजना का मसौदा तैयार किया है। हालांकि, राज्य सरकार कानून के अनुरूप सरकारी भूमि पर व्यापक स्तर पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कृत संकल्प है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम पांच बीघा तक की भूमि पर मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है, जिसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि किसी व्यक्ति की अपनी भूमि और उसे प्रदान की गई कुल भूमि दस बीघा से अधिक न हो, बशर्ते उसके कब्जे में शामिल बाकी भूमि को खाली कर दिया गया हो। उन्होंने कहा कि मालिकाना अधिकार न्यूनतम दरों पर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) अथवा जहां बंदोबस्त की प्रक्रिया जारी है, में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में आवेदन करना होगा।

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि गांव के आम उपयोग जैसे सड़कों, वनों, मेला मैदान आदि के लिए उपयोग में लाई जा रही भूमि को प्रदत्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां कब्जाधारी अंतिम निर्धारित तिथि से दो वर्षों के अंदर बेदखल हो चुका है, उस भूमि को भी प्रदान करने के योग्य माना जाएगा, लेकिन इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि ऐसे मामलों को अगस्त, 2015 से पहले दर्ज किया गया हो।

उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के बदले प्रदेश सरकार निजी भूमि के विनिमय को भी स्वीकृति देगी। इस योजना को मंजूरी के लिए केबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

राजस्व मंत्री ने कहा कि उन मामलों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्वीकृति अनिवार्य है, को भारत सरकार से उठाया जाएगा,ताकि मानवीय आधार पर ऐसे मामलों में छूट मिल सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व तरूण श्रीधर ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी तथा कार्यवाही का संचालन भी किया।

बल्क पैट्रोलियम टर्मिनल परियोजना को सरकार का भरपूर सहयोग: मुख्यमंत्री

शिमला/रीना

इंडियन ऑयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भेंट कर उन्हें ऊना जिला के पुखेबेला में निर्मित किए जा रहे बल्क पैट्रोलियम टर्मिनल की स्थिति के बारे में अवगत करवाया।उन्होंने कहा कि इस परियोजना के वर्ष 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह टर्मिनल प्रदेश के पैट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को पूरी करेगा तथा शीत भंडारण में भी सहायक सिद्ध होगा।

कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक (ऑटोमेशन) पी.के.यादव, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर के महाप्रबन्धक संदीप जैन, राज्य विपणन बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष मंगलेट भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जायेगी.....चाणक्य

सम्पादकीय

राजनीतिक विश्वसनीयता के लिये चुनाव सुधार जरूरी

देश में चुनाव सुधारों को लेकर बड़ी-बड़ी बाते अकसर होती रहती है, किन्तु इस दिशा में ठोस कदम उठाने का साहस कोई नही दिखा पाया है। हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसको कायम रखने के लिए 'चुनाव' के रूप में संवैधानिक प्रावधान किया गया है, लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव है। एक आम नागरिक को जितने तरह के चुनाव झेलने पड़ते हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम अथवा ग्राम पंचायत चुनाव शामिल हैं तो इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से अनगिनत चुनावों का बोझ जनता के सर पर ही मढ़ा जाता है। आज भारत में लोकतंत्र का मतलब चुनाव ही हो गया है और यही एक बड़ा कारण है कि देश में राजनीतिक विश्वसनीयता लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। आज कोई भी नेता या कार्यकर्त्ता अगर जनता से मिलने जाता है तो लोगों को लगता है कि जरूर यह वोट मांगने आया होगा। दुर्भाग्य से यह बात सच भी होती है कि नेता जनता से जब भी मिलता है वोट मांगने के लिए ही मिलता है। इसमें दोष सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि हमारे देश में चुनाव ही इतने ज्यादा है कि नेताओं के जिम्मे और कोई दूसरा कार्य ही नहीं रह गया है। आज पार्टी के नेताओं को यही काम रह गया है कि वह सिर्फ अपने वोट काउंट करें। इस बीच जनता के बारे में सोचने, समझने, उनकी समस्याएं सुलझाने का विकल्प लगभग समाप्त हो जाता है और इसमें लालच, भय, लड़ाई इत्यादि का विकल्प आजमाया जाने लगा है। चुनाव आया नहीं कि जनता में कैश, शराब इत्यादि खुलकर बांटे जाते हैं क्योंकि जनता से नेताओं का सामाजिक जुड़ाव तो होता नहीं है, इसलिए वोट की अहमियत लोकतंत्र की मजबूती से ज्यादा तत्कालिक फायदे तक सिमट कर रह गयी है। आज वोट अगर बेश कीमती नहीं रह गए हैं तो इसका कारण यही है कि अब हम पांच सालों में कई बार वोट करते हैं और यह तो सामान्य सिद्धांत है कि 'जिस चीज की जितनी अधिक उपलब्धता होगी, उसकी कीमत उतनी ही कम होती है।' साफ है कि अधिक संख्या में चुनाव होने से राजनीतिक जमात की विश्वसनीयता जहाँ शून्य हुई है, वहीं जनता में वोटों की खरीद-फरोख्त भी जोरों पर है।

नेताओं की चुनावी व्यस्तता के बाद प्रशासनिक कार्यो के लिए समय कहाँ से आएगा? ऐसे में नौकरशाही पर निर्भरता बढ़ना तय है और नौकरशाह, आराम से वातानुकूलित कक्ष में बैठकर नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन कर देते हैं, जो तमाम कमीशन और दलाली सिस्टम से गुजरते हुए जनता के पास शून्य रूप में पहुँचता है। जो नेता या राजनीतिक कार्यकर्त्ता जनता के प्रति सीधा जवाबदेह है, वह तो चुनाव और सिर्फ चुनाव में व्यस्त है।

प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव सुधार की बात जरूर की है लेकिन प्रधानमंत्री ने चुनावों में पैसे और समय की बचत के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का आइडिया दिया है, जिसमें पंचायत, शहरी निकायों, राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात कही है। इससे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लोगों से जुड़ने का ज्यादा वक्त मिलेगा, तो प्रशासनिक कार्यो के लिए नेताओं के पास अधिक समय भी बचेगा। प्रधानमंत्री ने एक चर्चा में कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ज्यादातर समय चुनावों में बीत रहा है, इससे वह सामाजिक कार्यो को बहुत कम वक्त दे पाते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा समय लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताने और उनके फायदे के लिए हो रहे कामों की जानकारी देने में बिताएं। इससे न केवल जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि जनता के प्रति नौकरशाही व्यवस्था और अधिक जिम्मेदार होगी। कहा जा रहा है कि मोदी ने जब सर्वदलीय बैठक में यह आइडिया रखा तो ज्यादातर पार्टियों के नेता इससे सहमत थे। यह साफ है कि जल्दी-जल्दी होने वाले चुनावों की वजह से राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार के काम भी ठप पड़ जाते हैं। आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है और यह सिलसिला यूँही चलता रहता है। एक अनुमान के मुताबिक, पंचायत, शहरी निकायों, राज्यों और संसदीय चुनाव एक साथ कराने पर समय और पैसे दोनों की बचत होगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में करीब 4500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त, तमाम चुनावों में राजनीतिक पार्टियां और नेता जिस प्रकार धन खर्च नहीं करते बल्कि फूंकते हैं, उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। छोटे-बड़े उद्योगपति राजनीतिक पार्टियों एवं नेताओं की चुनाव के समय आर्थिक मदद करते हैं और चुनाव के बाद यह सारा पैसा जनता की जेब से वसूला जाता है। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की योजना पर काम करने की बात कही भी थी, किन्तु यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि अंततः इस पर कोई ठोस कदम लिया भी जाता है अथवा यह बात हवा-हवाई ही रहेगी?

चुनाव सुधार में सबसे बड़ा कदम यही होगा कि चुनावों की संख्या कम की जाये। इसके अनेक लाभ होंगे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जनता से वोट की बजाये सामाजिक जुड़ाव, नौकरशाही पर लगाम एवं प्रशासनिक चुस्ती, चुनाव में काला धन के प्रवाह पर बड़ी मात्रा में रोक, विकास कार्यो में तेजी । प्रधानमंत्री का यह प्रस्ताव कितना आगे बढ़ेगा, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अगर कोई एक अच्छा कार्य करने का श्रेय ले लेगा तो फिर दूसरे के लिए जनता वोट क्यों करेगी? भाजपा भी विपक्ष में रहती तो शायद यही करती। ऐसे में श्रेय लेने के झूठे प्रयास में अच्छे कार्य लटके रहते हैं और उन अच्छे कार्यो की तरह शायद चुनाव सुधार भी न हो यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस

विश्व का सबसे बड़ा डीवॉर्मिंग कार्यक्रम

भारत तीसरा राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस मना रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डीवॉर्मिंग कार्यक्रम है, जिसके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 वर्ष की आयु से कम के 340 मिलियन बच्चों को उसके दायरे में रखा गया है। कृमियों द्वारा स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचता है, उसे निपटने के लिए भारत में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। *डा.वंदना जाटव

भारत में कीड़ों का संक्रमण सबसे अधिक होता है और 14 वर्ष से कम

आयु की 64 फीसद आबादी मिट्टी द्वारा कीड़ो के संक्रमण से ग्रस्त है। इसे बच्चों में खून की कमी, कुपोषण और मानसिक तथा शारीरीक विकास बाधित हो सकता है। कम पोषण और खून की कमी जैसी बीमारियां मिट्टी द्वारा कीड़ों के संक्रमण से होती हैं और 40 फीसदी से लेकर 70 फीसदी तक आबादी इनसे पीड़ित हो जाती है। आगे चलकर इनसे बच्चों की पढ़ने की क्षमता और प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड सकता है।

समस्या का मूल्यांकन

मिट्टी द्वारा कीड़ो के संक्रमण के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को इसका मूल्यांकन करने के नोडल एजेंसी बनाया है। एनसीडीसी ने अन्य एजेंसियों के सहयोग से मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण का मूल्यांकन किया है। राज्यवार विवरण इस प्रकार है-

एनडीडी राउंड	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कवर किया	लक्ष्य (करोड़ों में)	कवर किया गया (करोड़ो में)	कवरेज (प्रतिशत)
फरवरी 2015	11	10.31	8.98	85
फरवरी 2016	36	29.06	25	86
अगस्त 2016	26	15	11.96	79

वर्ष 2015 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण के अध्ययन के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह ने सुझाव दिया था कि जिन राज्यों में मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण 20 फीसदी से अधिक है, वहां साल में दो बार डिवॉर्मिंग कार्यक्रम चलाया जाए। इसी तरह जिन राज्यों में यह आंकड़ा 20 फीसदी से कम है, वहां वार्षिक आधार डिवॉर्मिंग कार्यक्रम चलाया जाए। केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे दो राज्य हैं, जहां मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण 20 फीसदी से कम है तथा वहां साल में एक बार कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया गया। बांकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल में दो बार डीवॉर्मिंग लागू की जाएगी।

राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग कार्यक्रम

एसटीएच संक्रमण का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने एकदिवसीय रणनीति अपनाई है जिसे राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस (एनडीडी) कहा जाता है। कार्यक्रम को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रतिकूल घटनाओं का प्रबंधन करने के लिए, इंडियन फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) भारत के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम (पीवीपीआई) की निगरानी कर रहा है, जिसने 210 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर (एएमसी) की देश भर में स्थापना की है।

इस सफलता इस मंजिल पर फरवरी 2017 का लक्ष्य 1 से 9 वर्ष आयु वर्ग के 34 करोड़ बच्चे हैं। इसके लिए निम्न पहलें शुरू की गयी हैं।

1. पहली बार देशभर में स्थित निजी स्कूल के 7.8 करोड़ बच्चों को इसके लिए लक्षित किया गया है।

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा के माध्यम से 4.3 करोड़ स्कूली बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बेहतर डेटा संग्रह के लिए एनडीडी एप्लिकेशन को विकसित किया है।

एनडीडी का पहला दौर फरवरी 2015 में मनाया गया था। पिछले राउंड का संक्षिप्त स्नैपशॉट इस प्रकार है:

मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण	राज्य
> 50%(14 राज्यों में सबसे अधिक)	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
20%-50% (19 राज्यों में मध्यम संक्रमण)	अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा
< 20% (2 दो राज्यों में कम संक्रमण)	मध्य प्रदेश और राजस्थान

राष्ट्रीय डिवार्मिंग दिवस एक सराहनीय कदम है जिसे स्वस्थ भारत को सुनिश्चित करने में एक लंबा सफर तय करना है। पोलियो, गिनी कृमि, चेचक, स्माल पॉक्स एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन के भारतीय गौरवशाली रिकॉर्ड को भी अलग से शामिल किया जा सकता है। इसे सबसे अच्छे तरह से इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है

घर से मस्जिद है बहुत दूर
चलो, यूँ कर लें
किसी रोते हुए बच्चे को
हँसाया जाये
(निदा फाजली)

बजट 2017-2018

प्रचार पर कम वास्तविकता पर अधिक जोर

'प्रकाश चावला'

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट 2017-18 में जरूरत मंदों को धन प्रदान किया है। लगभग 21.46 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न बजट विवरण के बारे में सबसे उपयुक्त शीर्ष वैश्विक बैंकर ने कहा है कि यह एक कारीगरी और व्यवसाय जैसा कार्य है।

हालांकि उच्च अपेक्षाओं के बावजूद बजट के अंतिम आंकड़ों और विकास खाके में प्रचार पर कम और किसानों, ग्रामीण श्रमिकों, निम्न मध्य वर्ग, युवा और लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए वास्तविक सहायता प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संरक्षणवाद और उभरते हुए बाजारों से पूंजी का निकलना जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए घरेलू कारकों पर बल दिया, जिसमें कई बातें पहली बार शामिल की गई हैं। पहली बार बजट एक महीने पहले पेश किया गया, जिससे सरकार के व्यय पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पहली बार नियोजित और गैर-नियोजित व्यय की सख्ती को हटाया गया है।

विमुद्रीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के महत्व के बाद आए इस बजट मे जेटली ने देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपये का संयुक्त आवंटन किया है। प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, महात्मा गांधी मनरेगा के लिए अब तक का सबसे अधिक 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है और यह व्यय 'केवल खडे खोदने और भरने' के लिए नहीं बल्कि बेहतरीन ग्रामीण संपत्ति का निर्माण करने में किया जाएगा। सभी मनरेगा संपत्तियों को जीओ-टैग किया जाएगा और अधिक पारदर्शिता के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा। यहां तक कि मनरेगा कार्यों की योजना बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा।

किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए उनको ई-मंडी से जोड़ने तथा कृषि उत्पाद बाजार समीति (एपीएमसी) अधिनियम के चंगुल से और अधिक किसान उत्पादों को विमुक्त करने के लिए अधिक से अधिक राज्यों से आग्रह करने जैसी पहलों से किसानों को काफी मदद मिलेगी।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यह बजट निजी क्षेत्र में खपत मांग और निवेश को पुनर्जीवित कर सकेगा?

जैसा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में शानदार कुछ और ईमानदार आकलन के बेहतरीन दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश का निजी क्षेत्र भारी ऋण की समस्या से जूझ रहा है। इसलिये भारतीय कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में नया धन लगाने से पहले निवेश चक्र में आवश्यक महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिये यह सरकार का तार्किक उपाय होगा और इसके बाद दूसरे आदेश में इसका पालन किया जायेगा। यही कार्य इस बजट में किया गया है। विश्व में विपरित परिस्थितियों के बावजूद पूंजी निर्माण के लिये पूंजी व्यय में 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रमुख सड़क, रेल और शिपिंग बुनियादी ढांचा क्षेत्र को संयुक्त रूप से 2.41 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ है। इसे कई गुना प्रभावी बनाने के लिये निजी क्षेत्र को सीमेंट, स्टील और रोलिंग स्टॉक आदि के ऑर्डर प्राप्त होंगे, जिससे कुशल और अर्धकुशल लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा प्रमोटरों के राजस्व में वृद्धि होगी।

युवाओं के बारे में विचार एकदम स्पष्ट हैं: जो एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है जहां आसान बैंक ऋण, राजकोषीय रियायतों और प्रोद्योगिकी समर्थता की मदद से उद्यमशीलता बढ़े। एक विश्लेषक ने कहा है कि कारपोरेट भारत को केवल पांच से दस शीर्ष व्यावसायिक घरानों के लिये ही शेयर बाजार में धन बनाने के रूप में नहीं देखना चाहिये, बल्कि यह करोड़ों सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिये भी है। बजट से इस वर्ग के लोगों की स्थिति में काफी बदलाव आयेगा। हालांकि सरकार द्वारा पूरे उद्योग के लिये कारपोरेट कर को 25 प्रतिशत करने के अलावा एसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें कर और कम देना होगा। नाम में कुछ बदलाव कर बुनियादी ढ़ांचे का दर्जा देने के बाद किफायती आवास के इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया गया है। विमुद्रीकरण और कम मांग के कारण इस क्षेत्र को काफी धक्का पंहुचा था। इससे निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और सबके लिये आवास का सरकार का वादा पूरा होगा।

डिजीटल इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है, जहां बजट में अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन किया गया है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि डिजीटल पहल केवल विमुद्रीकरण तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह नया सामान्य तरीका होगा। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को आपस में जोड़ने के लिये भीम, फाइबर ऑप्टिक्स, बिक्री स्थलों और माल प्लेटफार्म जैसे परिचालन ऐप तैयार करने के लिये कई पहल की और बुनियादी सहायता दी गई है। देश को ऊर्जावान और स्वच्छ बनाने के लिये बजट में नगदी रहित अर्थव्यवस्था 'टीइसी' स्तम्भों में से एक है। वास्तव में इससे न केवल काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश को आंतरिक रूप से स्वच्छ करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा ऊर्जावान बनेंगे।

इसी विषय से जुड़े विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परियोजनओं को मंजूरी देने या न देने में लाल फीताशाही कम करने और विवेकाधिकारों को समाप्त करने के बारे में वैश्विक निवेशकों को बड़ा और स्पष्ट संकेत दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक दलों को चंदा देने में पारदर्शिता लाने के लिए सबसे साहसिक कदम चुनावी बांड के जरिए चंदा देना और केवल दो हजार रुपये तक नकद चंदा देने की सीमा तय करना है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीतने में काफी मददगार साबित होगा।

20,000 करोड़ रुपये तक प्रत्यक्ष कर मुक्त करने के साथ ही वित्तीय अनुशासन पर टिके रहकर वित्त मंत्री ने इसके लिए कोई नया कर नहीं शुरू किया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्वीकार्य स्तर पर नियंत्रित किया गया है। यह एक ऐसा उपाय है, जिससे देश को वैश्विक रेटिंग एजेंसियों का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी।

संक्षेप में बजट 2017-18 बेहतरीन है और अगर अगले वित्त वर्ष में नहीं, तो आगामी वर्षो में इससे 8 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।

रियल स्टेट और आवास के लिए परिवर्तनकारी बजट

बजट 2017-18 के बजट में गरीबों के लिए आवास

बड़ी और लोकलुभावन घोषणाओं से परे इस वर्ष का बजट काफी संतुलित, सकारात्मक और प्रगतिशील बजट है। इसका लक्ष्य मंदी की मार झेल रहे रियल स्टेट तथा आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और इसे सतत् विकास की राह पर लाना है।

रियल स्टेट तथा आवास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की मोदी सरकार के सुधारवादी दृष्टिकोण के अनुरूप बजट ने इन क्षेत्रों को अनेक पहलुओं विशेषकर रियायती और कम लागत के आवास को काफी प्रोत्साहित किया है ताकि सभी के लिए आवास कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमकेवाई) को बजट में काफी अधिक आवंटन हुआ है। इसका आवंटन 39 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 29 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया है। सरकार के गरीब समर्थक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आवास के लिए आवंटन में 44 फीसदी की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दो करोड़ शहरी तथा एक करोड़ ग्रामीण मकान बनाने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 23 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष के आवंटन से आठ हजार करोड़ रुपये अधिक है। दो हजार करोड़ रूपये के अतिरिक्त पुनर्वित का प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए किया गया है ताकि आवास स्टॉक को बढ़ावा मिले।

आवास क्षेत्र पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी कदम रियायती मकानों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना है। यह सही है कि आवास की सबसे अधिक कमी रियायती और कम लागत की श्रेणी में है। सरकार यह अच्छी तरह महसूस करती है कि रियल स्टेट क्षेत्र में जारी मंदी विशेषकर आवासीय रियल स्टेट में मंदी क्षेत्र द्वारा तरलता की समस्या झेलने के कारण है। रियायती मकानों को बुनियादी ढांचे के समकक्ष रखने के सरकार के प्रयास से सस्ते, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए दरवाजे खुलेंगे। विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के उन्मूलन से न केवल कारोबारी सहजता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 1.45 लाख करोड़ पर पहुंच गया। यह 2015-16 में 1.07 लाख करोड़ रूपये था। इन सबसे आवास आपूर्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। बुनियादी ढांचा रियल स्टेट तथा समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाता है इसलिए बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ रूपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है जोकि पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है इसके साथ ही राजमार्ग के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाकर 64 हजार करोड़ कर दिया गया है।

संपत्ति उपभोक्ताओं की दृष्टि से 2017-18 के बजट को ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है। बजट में संपन्न लोगों पर अधिक कर लगाये गये हैं और ईमानदार करदाताओं को आयकर की बड़ी राहत देकर पुरस्कृत किया गया है। 2.5 लाख से अधिक की वार्षिक आय पर टैक्स को आधा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रूपये कर दी गई है। बजट प्रावधानों से उच्च आय वाले लोगों द्वारा सटोरिया खरीदारी को हतोत्साहित किया गया है और वास्तविक रियायती मकान खरीदने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले ही नौ लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज में चार प्रतिशत की कमी की गई है और बारह लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज दर तीन प्रतिशत घटाने की घोषणा की गई है। अधिक से अधिक लोगों को रियायती आवास योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने इस बजट में घर के आकार (30 वर्ग मीटर या 300 वर्ग फीट- 60 वर्गमीटर या 600 वर्ग फीट) के पात्रता मानकों को बिल्टअप एरिया से बदलकर कारपेट एरिया कर दिया गया है। अब 800 वर्ग फीट के मकान रियायती आवास श्रेणी के दायरे में आएंगे। सरकार ने मकानों की बिक्री पर कर राहत भी दी है। यह राहत संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ में कमी करके, आधार वर्ष 1981 से 2000 करके तथा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को बढ़ाकर दी गई है। सरकार ने और राहत देते हुए आधार वर्ष में परिवर्तन करके दीर्घ अवधि के पूंजी लाभ के लिए मकान अपने पास रखने की अवधि तीन वर्ष से दो वर्ष कर दी है।

रियल स्टेट, आवास तथा बुनियादी क्षेत्र में रोजगार सृजन होता है। सरकार ने इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके इस आलोचना को खारिज करने की कोशिश की है कि सरकार रोजगारमुखी विकास की राह पर नहीं चल रही है। छोटे प्रतिष्ठानों के लिए कर लाभ का उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। मनरेगा के लिए आवंटन रिकॉर्ड 48 हजार करोड़ रूपये बढाने के प्रस्ताव से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कौशल विकास के लिए आवंटन में 38 फीसदी की वृद्धि करने से केंद्र के 2022 तक दस हजार करोड़ रोजगार सृजन करने की महत्वकांक्षी योजना को प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट का फोकस लोगों की वहन योग्यता बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुरूप है। यह कहा जा सकता है कि यूपीए सरकार के दौरान मकानों की कीमतें साधारण लोगों की पहुंच से बाहर चली गई थी, लेकिन जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई है उसका ध्यान संपत्ति के मूल्यों के कृत्रिम उछाल पर नियंत्रण रखना है और लोगों के लिए रियायती मकान उपलब्ध कराना है। बजट में बैंकों की तरलता में सुधार के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आवास ऋण के लिए कर छूट और प्रोत्साहन दिया गया है। डिजिटीकरण को प्रोत्साहित करने तथा तीन लाख रूपये से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने से कम लागत की बैंक जमाओं को बढावा मिलेगा और इस तरह कोष लागत में कमी आयेगी। वास्तव में आवास को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत उपायों से मांग आपूर्ति की खाई में कमी आयेगी और मकान रियायती दर पर मिलेंगे। यह बजट वृहद आर्थिक स्थिरता के मोर्चे पर भी अच्छा बजट है फिर भी निजी निवेश चक्र को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता खर्च में तत्काल प्रोत्साहन देने की कमी है। यद्यपि बजट में बुनियादी ढांचे के लिए विवाद समाधान व्यवस्था को संस्थागत बनाया गया है ताकि परियोजनाओं मे तेजी आये लेकिन एकल खिड़की मंजूरी के महत्वपूर्ण विषय का समाधान नहीं किया गया है। बजट समग्र रूप से उद्योग जगत की आशा के अनुरूप है। यह मोदी सरकार के रियलस्टेट सुधार संकल्प को दोहराने वाला बजट है ताकि इसे जनता के लिए वहन योग्य बनाया जा सके और साथ ही साथ इसे निवेशकों के लिए आकर्षक संपत्ति वर्ग के रूप में विकसित किया जा सके।

भरमौरी बने वन माफिया के संरक्षक और मचाई लूट

शिमला/बलदेव शर्मा

राज्यपाल ने सरकार के खिलाफ आये भाजपा के आरोप पत्र को अगामी कारवाई के लिये प्रदेश सरकार के सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस पर क्या कारवाई करती है और क्या राज्यपाल इस पर की गयी कारवाई की रिपोर्ट सरकार से मांगते हैं या नहीं इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन अभी सरकार ने इस आरोप पत्र पर प्रत्यक्षतः गंभीरता ने दिखाते हुए इसे संज्ञान लेने लायक दस्तावेज ही नही माना है। सरकार की इस प्रतिक्रिया का नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने केवल इतना जवाब दिया है कि सारे आरोप प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। धूमल के अतिरिक्त भाजपा के किसी भी अन्य नेता ने इस पर कुछ नही कहा है।

इस परिदृश्य में भाजपा इस आरोप पत्र को आगे जन चर्चा में कैसे लाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ही होगा। दूसरी ओर मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने आरोप पत्र आने से पहले ही यह चेतावनी दी थी कि यदि बेबुनियादी और प्रमाणों के बिना उन पर आरोप लगाये गये तो वह मानहानि का दावा दायर करेंगे। अब आरोप तो लग गये हैं इन पर आगे सरकार और स्वयं प्रतिपक्ष क्या रणनीति अपनाते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। इस आरोप पत्र पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके लिये आरोप पत्र को पाठकों के सामने यथावत रखा जा रहा है।

इस कड़ी में सरकार में हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, सी.पी.एस. नंदलाल और उनके विभागों पर लगे आरोप सामने रखे जा रहे हैं।

6 . ठाकुर सिंह भरमौरी बने वन माफिया के संरक्षक और मचाई सरेआम लूटः

हिमाचल सरकार के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के संरक्षण में सक्रिय वन माफिया ने अवैध वन कटान को इतना बढ़ावा दिया कि हिमाचल प्रदेश की पहचान को ही मिटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वन ही हिमाचल प्रदेश की पहचान है।

✔ फर्जी शपथ – पत्र व झूठी सूचना

हिमाचल सरकार के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के व्यक्तित्व के बारे में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होनें विधान सभा चुनाव लड़ते समय जो अक्तूबर, 2007 में चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया था उसमें लिखा कि उन्होनें 1974 में बी.ए. पंजाब विश्वविद्यालय से की और जो शपथ-पत्र 2012 का चुनाव लड़ते समय दिया उसमें लिखा कि उन्होनें 1974 में इलाहबाद विश्वविद्यालय संगीत में बी.ए. की। साथ ही विधानसभा की Who's Who किताब में उनके बताने पर दर्शाया गया कि 1974 में वे भरमौर में पंचायत प्रधान थे। एक व्यक्ति एक समय में यह सब नहीं कर सकता इसलिए उनका चुनाव आयोग में एक शपथ-पत्र झूठा है और विधान सभा को दी जानकारी गलत है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो व्यक्ति इस तरह अपने बारे में शपथ-पत्र पर फर्जी जानकारी दे सकता है वह मंत्री बन कर क्या-2 कर सकता है, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं और उनके व्यक्तित्व से इसका अंदाजा सबको लग भी रहा है।

✔ भू – घोटाला

वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी पर अपने पद का दुरूपयोग कर गरीब आदमियों की जमीनें सस्ते भाव खरीदने का सुनसनीखेज मामल सामने आया है। तथ्य यह है कि जीजा राम सुपुत्र राधा राम गांव बाड़ी डा. व तह. भरमौर, जिला चम्बा जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है, को 1973 में नौतोड़, भूमि मिली थी। जीजा राम के मरने के बाद में जमीन उनकी 2 पत्नियों व 4 पुत्रों के नाम चढ़ गई। ठाकुर सिंह भरमौरी उस समय वहां के विधायक थे और उन्होनें इस परिवार की जमीन उनको सरकारी नौकरी देने का झांसा देकर अपने व अपने बेटे के नाम सस्ते भाव खरीद ली जिससे वे भूमिहीन हो गए और आज तक उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में जगदीश कुमार व मदन लाल जो स्व. जीजा राम के सुपुत्र हैं, ने इस सम्बन्ध में शपथ पत्र (Affidavit) दिया है।

✔ वन माफिया को संरक्षणः

वन मंत्री के जिले चम्बा में वन डिवीजन चम्बा की आलमी बीट में 1800 पेड़ों के अवैध रूप से काटने की एफ.आई.आर. नं. 82/2014 दर्ज हुई, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। अब फिर इसी बीट में 4000 पेड़ो के अवैध रूप से काटने का मामला प्रकाश में आया है जिसकी जांच करने की बजाए वन विभाग के अधिकारी वन मंत्री के दबाव में मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मशाला के मैकलोड़गंज में तो अवैध कटान में वन मंत्री के रिश्तेदार का ही नाम सामने आया।

❖ शिमला राजधानी के समीप तारादेवी में किस तरह दिन-दिहाड़े 477 देवदार के पेड़ काटे गए और मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया था। उससे तो लगता है कि वन मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी वन माफिया को पूरा संरक्षण प्राप्त है।

❖ पिछले चार वर्षों में बिलासपुर जिला में खैर के पेड़ों के अवैध कटान की अनेकों घटनायें हुई हैं। क्षेत्र के कुड्डी व मराथु के जंगलों में 84 व पंजगांई क्षेत्र में 500 से अधिक पेड़ काटे गए। शिकायत मिलने पर वन विभाग ने इन घटनाओं के लिए मात्र एक चौकीदार व तीन व रक्षकों को निलंबितकर मात्र खानापूर्ति कर दी गई। हैरानी की बात है कि वन विभाग द्वारा इन घटनाओं में जब्त की गई खैर की लकड़ी डिपुओं से गायब हो गई और जिसमें वन विभाग द्वारा अपराधियों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई न ही पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की गई। बम्बर ठाकुर की शह पर खैर माफिया के हौंसले इतने बुलंद हैं कि जिला के कोठीपुरा स्थित पशुपालन विभाग के परिसर से भी सैंकड़ो पेड़ दिन दिहाड़े काटकर खुर्द फुर्द कर दिए गए। पिछले वर्ष झण्डूता के ऋषिकेश क्षेत्र के जंगलो से भी भारी अवैध कटान हुआ। मौके पर पुलिस व विभाग की कार्यवाही से लकड़ी बरामद की गई परन्तु दोषियों के खिलाफ आगामी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

गौरतलब है कि एक ब्लॉक स्तर के अधिकारी पर अवैध कटान में सम्मिलत होने की पहले से जांच चल रही थी उसको निलंबित करने के बजाय पजगांई क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दी गई। बिलासपुर सदर के विधायक बंबर ठाकुर की दबंगई के कारण प्रशासन घुटने टेक चुका है। जिस कारण वन माफिया के हौंसले बुलंद हैं। परिणामस्वरूप करोड़ों रूपये की वन सम्पदा की लूट हो रही है। बिलासपुर जिला में हो रहे खैर के अवैध कटान व स्थानीय विधायक के वन माफिया को संरक्षण की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए ताकि करोड़ों की वन सम्पदा को बचाया जा सके।

✔ फर्जी वृक्षारोपण घोटाला

प्रभागीय वन मण्डल अधिकारी बिलासपुर द्वारा फरवरी, 2015 में घुमारवीं विकास खण्ड के हरलोग क्षेत्र में हुए 37,44,889 रू. के फर्जी वृक्षारोपण की जांच वन विभाग की उच्च स्तरीय जांच समिति से करवाई गई। समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि जिस क्षेत्र का चयन वृक्षारोपण के लिए किया गया था। उस क्षेत्र में पहले से ही पर्याप्त जंगल है। अतः वृक्षारोपण के लिए स्वीकृत राशि को कागजों में खर्च करके फर्जी वृक्षारोपण किया गया। प्रभागीय वन मण्डल अधिकारी बिलासपुर ने वन विभाग के संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाही तो विभाग के उच्चाधिकारियों ने प्रभागीय वन मण्डल अधिकारी बिलासपुर को ही अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया। अतः इस फर्जीवाड़े की उच्च

स्तरीय जांच हो और इसमें संलिप्त वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

✔ पोल घोटाला

दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के विधान सभा के प्रश्न संख्या 2081 के उत्तर के अनुसार प्रदेश सरकार के वन विभाग में 6.88 करोड़ के आर.सी.सी. पोल खरीदे जिनके लिए प्रदेश स्तर पर कोई एक फार्मूला नहीं बनाया। बिना टैण्डर आमंत्रित किये ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पोल खरीदे जिनके पास न कोई लाइसैंस ठेकेदारी का था न कोई आर.सी.सी. के पोल बनाने की फैक्टरी थी। आरोप यह भी है कि जितने पोल बनाने का ऑर्डर मिला था उनसे आधे पोल भी नहीं दिए गए और पूरा पैसा ले लिया। इस प्रकार यह एक ऐसा घोटाला हे जिसमें वन मंत्री के संरक्षण में वन अधिकारी, कर्मचारी, कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता पूर्णरूप से शामिल है।

वन निगम के एक सेवानिवृत अधिकारी को बिना कर अप्लाई किए और बिना पोस्ट के दोबारा नौकरी पर रख लिया जिसकी बी.ओ.डी. से स्वीकृति भी नहीं ली और सवा साल तक वह बिना कार्य के वेतन लेता रहा। यह एक ऐसा कारनामा है जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

✔ मिड हिमालयन प्रोजेक्ट में घटे घोटाले

वन विभाग के मिड हिमालयन प्रोजेक्ट के माध्यम से जिला बिलासपुर की नम्होल व स्वारघाट डिवीजन के माध्यम में सिर्फ उन्हीं पंचायतों में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पैसा जिनमें प्रधान कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हें। भाजपा से सम्बन्धित प्रधानों की पंचायतों में इस दौरान न के बराबर पैसा गया। यह तथ्य विधान सभा के प्रश्न संख्या 1760 दिनांक 24 मार्च, 2015 के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है।

उस प्रोजैक्ट की डिवीजन नम्होल में 74 में से 73 काम और स्वारघाट के डिवीजन में सभी कामों में सिर्फ 3-3 निविदायें ही आई जो इस बात को साबित करता है कि इस प्रोजैक्ट में अपने चहेतों को लाभ देने के लिए मिलीभगत से टैण्डर डाले जाते रहे जो अपने आप में एक घोटाला है।

मिड हिमालयन प्रोजैक्ट की लगभग सभी डिवीजनों में अनावश्यक सामान की खरीदारी जरूरत से ज्यादा व अत्यधिक कीमतों पर भरकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट की नम्होल डिवीजन से मिली जानकारी के अनुसार लैड हैड टॉर्च, प्रैशर कुकर, ट्रैकिंग बैग, एच.डी.पी.ई. तरपाल व वाटरप्रूफ रेनकोट खरीदे जो किसी को बांटे ही नहीं गए। इस सामान को खरीदने में जो लेन-देन हुआ वह एक बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है।

इसी तरह इस प्रोजेक्ट के चुवाड़ी मण्डल में जंगल जूते, जैकेट, प्रैशर कुकर, टॉर्च व रूकसुक बैग आदि चीजें ज्यादा कीमत में खरीद कर अपने चहेते भेड़ पालकों को बांटी गई।

हिमाचल प्रदेश मिड हिमालयन वाटरशैड प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि मिड हिमालयन प्रोजेक्ट की चुवाड़ी डिवीजन ने 139.38 लाख रू. उन 11 पंचायतों में खर्च कर दिया जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आती, जो इस प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

ऑडिट रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इस प्रोजैक्ट की धर्मशाला और भटियात डिवीजन के अंतर्गत 82.93 लाख रू. के कार्य विश्व बैंक के दिशा निर्देशों के विपरीत खर्च कर दिए। इसी तरह इस विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में अनेक अनियमिततायें पाई गई जो एक बड़े घोटाले की ओर संकेत करती है।

✔ मत्स्य विभाग घोटालाः

हिमाचल सरकार का मतस्य विभाग लोगों को मछली पालन का रोजगार देने की बजाए भ्रष्टाचार करने का प्रशिक्षण देता है। इस विभाग में लोगों को मछली पालने हेतु तालाब बनाने के लिए धनराशि दी जाती है, परन्तु यदि प्रदेश में सर्वे करवाया जाए तो 95 प्रतिशत जगह तालाब बने ही नहीं। इसके लिए आई धनराशि की बंदरबांट हो जाती है। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी और यहां तक कि लाभार्थी भी इसमें शामिल रहते हैं।

इसका उदाहरण सूचना के अधिकार में मतस्य विभाग के पालमपुर मण्डल की सूचना से मिलता है। जिन लाभार्थियों को तालाब बनाने हेतु धनराशि दी गई, उन्होनें तालाब बनाए ही नहीं, मछली उत्पादन होना तो दूर।

नंदलाल ने अनैतिक ढंग से रामपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाये

✔ रामपुर बाजार चौधरी अड्डा मेन रोड़ पर वर्षों पहले एक वर्शापालिका का निर्माण हुआ था जिसमें खराब मौसम, धूप व हर प्रकार के समय में लोग बैठा करते थे। इससे 8-10 मीटर की दूरी पर एक बिजली बोर्ड का ट्रांसफार्मर जो 30-40 वर्ष पहले लगा था जिसको बदलने के लिए अनेकों बार लोगों ने कहा लेकिन अब एक बड़े कांग्रेसी नेता और नगर परिषद में पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में उपाध्यक्ष दीपक सूद ने उस ट्रांसफार्मर के सामने जमीन खरीदकर एक गैर कानूनी तरीके से अवैध भवन का निर्माण किया है और उसमें नेशनल हाई वे पर दुकाने बनाई गई है तथा दीपक सूद को फायदा देने के लिए उक्त ट्रांसफार्मर को वर्षा शालिका में बदल दिया गया और लोगों को उस वर्षा शालिका से महरूम किया गया तथा बिजली बोर्ड के 8-10 लाख रू. उस पर खर्च किए गए जबकि यह पैसा दीपक सूद से वसूल किया जाना चाहिए था, ताकि इस पैसे का उपयोग आम आदमी के विकास के लिए और गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च होता।

✔ रामपुर बाजार के पुराने बस स्टैण्ड को वीरभद्र सिंह जी के होटल के सामने से बदलकर दीपक सूद के भवन के सामने करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है ताकि उक्त कांग्रेसी नेता को व्यवसाय में लाभ दिया जा सके। जबकि वहां की जगह पुरानी जगह से काफी कम है। इससे अव्यवस्था ही नहीं लोगों को भारी परेशानी होगी।

✔ रामपुर बाजार में नगर परिषद द्वारा पूर्व में बनाई गई दुकाने चाहे वह मंदिर परिसर में थी या उससे बाहर थी, में से 80 प्रतिशत दुकाने एक ही परिवार को दे दी गई जो मंदिर में ट्रस्टी सदस्य रह चुका है। वर्तमान में भी नेशनल हाई वे में पैट्रोल पम्प के पास एक जगह फोरेस्ट द्वारा इस शर्त पर क्लीयरेंस दी गई कि यहां पर सामुदायिक भवन और सहकारी भवन आम जनता ग्रामीण, किसानो आदि के लिए बनाया जाए ताकि उनको भी शहर में आते-जाते समय, ठहरने के लिए असुविधा न हो, की दृष्टि से फोरेस्ट क्लीयरेंस मिली थी लेकिन नगर परिषद में बैठे उक्त नेता ने मुख्यमंत्री के ईशारे पर यहां एक शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि अपने चहेतों को देकर कांग्रेसियों को लाभ दिया जा सके।

✔ हिमाचल प्रदेश सरकार में रहे इंजीनियर इन चीफ एवं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चहेते एवं एडवाईजर पी.डब्ल्यू.डी. एस.पी. नेगी व उनकी पत्नी पूर्व में रही जिला परिषद की अध्यक्षा एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री ने रामपुर में एक भवन अपनी भूमि पर जिसका निर्माण चल रहा है, का लैंटर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और कई मजदूर घायल हो गए जिसकी न तो एफ.आई.आर. काटी गई और न ही उपरोक्त लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। यह सब सत्ता में बैठी वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री के कारण हुआ है। इससे सरकार की कार्यकुशलता व उसमें काम करने वाले एडवाईजर की योग्यता का पता चलता है कि काम का स्तर कितना उच्च होगा, जो बेहद चिंतनीय है।

हमीरपुर-ऊना रेलवे लाइन की सौगात से बोखलाहट में कांग्रेसी:नरेंद्र ठाकुर

शिमला/जे पी भारद्वाज

सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन को बजट में 2850 करोड़ रुपए मंजूर होने पर केन्द्रीय नेतृत्व और सांसद अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा की अनुराग ठाकुर के प्रयासों से हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन के लिए बजट मंजूर हुआ है जिसकी लम्बे समय से स्थानीय लोग मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा की केंद्र से मिलने वाली इस सौगात से कांग्रेस के हमीरपुर के कुछ हारे नकारे छुट भईया नेता बोखलाहट में हैं। उन्होंने आपदा प्रबन्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा की वह विस चुनावों में मिली हार को अभी तक पच्चा नहीं पाए हैं। यही कारण है की वो जनता में अपना आधार खो बैठने के बाद वह अब केवल मिडिया में बने रहने के लिए भाजपा नेताओं के विरुद्ध अनाप शनाप ब्यानबाजी करने में लगे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने केंद्र में आवाज

उठा कर इस क्षेत्र के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए इस लाइन को 2850 करोड़ का बजट मंजूर करवाया है। भाजपा काम करने में विश्वास करती है। कांग्रेस सरकार और सीएम वीरभद्र जैसे झूठी घोषणाएं करने में नहीं। पूर्व की कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस लाइन के लिए सर्वे के नाम पर एक रूपया बजट उपलब्ध करवा कर लोलीपोप दिया था। मोदी सरकार ने इस लाइन को 2850 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया है और अब लाइन की डीपीआर भी जल्दी बन जाएगी। जैसे सावन के अंधे को सब हरा ही नजर आता है वैसे ही कांग्रेसियों को यह सौगात भी झूठी घोषणा नजर आ रही है क्योंकि खुद कांग्रेसियों को जनता को झूठी घोषणाएं कर लोलीपोप देने का ही काम आता है।

नरेंद्र ठाकुर ने दावा करते हुए कहा की आने वाले विस चुनावों में हमीरपुर जिला की पाँचों सीटों सहित भाजपा प्रदेश में पचास से अधिक सीटें जीत कर सरकार बनाएगी। और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर जनता कांग्रेस मुक्त हिमाचल बनाएगी।

रेल मंत्रालय द्वारा ऊना-हमीरपुर रेल लाईन के लिए केवल एक करोड़ का टोकन प्रावधान:कांग्रेस

इस पर प्रदेश सरकार ने कहा है कि केन्द्रीय रेल मंत्रालय द्वारा ऊना – हमीरपुर रेल लाईन के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। वास्तविकता यह है कि रेलवे द्वारा वर्ष 2017 – 18 के बजट में ऊना – हमीरपुर रेल लाईन के लिए केवल एक करोड़ रुपये का टोकन प्रावधान किया गया है, जिसकी कुल लागत 2850 करोड़ रुपये दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्रालय ने विस्तृत सर्वे भी नहीं किया है कि यह रेल लाईन कहां से गुजरेगी। प्रदेश सरकार समय – समय पर हिमाचल प्रदेश में नंगल – तलवाड़ा, चंडीगढ़ – बद्दी, भानुपल्ली – बिलासपुर – बैरी रेल लाईन का मामला केन्द्रीय रेल मंत्रालय से उठाती रही है, परन्तु अभी तक इन रेल लाईनों के निर्माण कार्यों में बहुत धीमी प्रगति हुई है।

ऊना- हमीरपुर रेलवे लाइन अपने आप में एक उपलब्धि:भाजपा

भाजपा विधायक विजय अग्निहोत्री एवं नरेंद्र ठाकुर, कांग्रेस के हास्यास्पद ब्यान कि केन्द्र सरकार ने ऊना- हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए केवल 1 करोड स्वीकृत किये हैं, पर जमकर बरसे।

कांग्रेस की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं की ब्यानबाजी हास्यास्पद है तथा, यह उनकी समझ को दर्शाता है। वे अपने मानसिक स्थिरता खो बैठें है अनुराग ठाकुर की उपलब्धियों को पचाने में असमर्थ है।

ऊना - हमीरपुर रेलवे लाइन की स्वीकृति अपने आप में एक उपलब्धि है और हम सब इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अनुराग ठाकुर का शुक्रिया अदा करते हैं। हर परियोजना को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है और जब किसी भी परियोजना को मंजूरी दी जाती है तब टोकन राशि दी जाती हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं की सूझबूझ उस स्तर की नहीं है की वह यह समझ पाएँ।

जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तब वह 40 साल तक नंगल – तलवाड़ा रेल लाइन भी नहीं बनवा पाए जो 1974 में सविकृत हो गई थी। यह रेल लाइन अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बन रही है और अगले साल तक बन कर तैयार हो जाएगी। भाजपा परियोजनाओं को पुरा करने में विश्वास रखती है, कांग्रेस की तरह सिर्फ झूठे वादे करने में नहीं।

पेटीएम वॉलेट से भुगतान शुरू करेगा HRTC : बाली

शिमला/भारती शर्मा

परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि सभी एचआरटीसी वैब पोर्टल के सभी अग्रिम बुकिंग काऊंटरों पर पेटीएम वालेट से भुगतान की सुविधा शुरू की जाएगी। यह सुविधा ज्यादातर लोगों द्वारा पेटीएम वालेट प्रयोग करने को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी अग्रिम बुकिंग काऊंटरों पर 20 फरवरी, 2017 तक डेबिट/क्रेडिट कार्डों द्वारा भुगतान करने के लिए 200 पीओएस मशीनें स्थापित की जाएंगी तथा यह सुविधा सुपर लग्जरी बसों के कंडक्टरों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

मंत्री ने कहा कि ढाबों तथा रेस्तरां में गुणवत्तापूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए निर्णय लिया गया है कि प्रथम शिकायत पर मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी और तीसरी बार मालिकों पर यह जुर्माना क्रमश:10000 रुपये तथा 20000 रुपये होगा। चौथी बार शिकायत मिलने पर ढाबे या रेस्तरां को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

बाली ने कहा कि शिमला से चण्डीगढ़ (दो चक्कर) के लिए सुपर लग्जरी बस सेवा शुरू होगी। मण्डी जिला के सरकाघाट क्षेत्र के लोगों को सुविधा

प्रदान करने के लिए जाहु-दिल्ली सुपर लग्जरी बस सेवा को आगामी तीन दिनों के भीतर सरकाघाट तक बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर-अमृतसर वाया होशियारपुर सुपर लग्जरी बस सेवा 9 फरवरी, 2017 से शुरू की जाएगी, जबकि स्वर्ण मन्दिर सुपर लग्जरी बस सेवा आने वाले दिनों में शिमला से अमृतसर के लिए शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कालेज के कर्मचारियों तथा छात्रों की सुविधा के लिए मुद्रिका बस सेवा मेकलोड़गंज से मेडिकल कालेज तक शुरू की जाएगी।

बाली ने कहा कि यात्रियों के लिए सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा सुविधा सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं तथा यात्रियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में और भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान निगम का राजस्व 508 करोड़ रुपये से बढ़कर 560 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

हिमाचल ने धर्मशाला में हाकी अंपायर -प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया

शिमला/भारती शर्मा

प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में दो दिवसीय अंपायर – प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में 18 फरवरी, 2017 से राज्य चौम्पियनशिप शुरू होने वाली है। सभी जिला सघों से अंपायर ने इस कार्यशाला में भाग लिया। यह प्रशिक्षण सुरेश ठाकुर, अंतरराष्ट्रीय अंपायर और रोमेश पठानिया, राष्ट्रीय कोच और अंपायर की अगुवाई में हुआ।

इस पर अनुराग ठाकुर, सांसद हमीरपुर ने कहा, हम प्रदेश में खेलों के स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहें है और यह अंपायर – प्रशिक्षण कार्यशाला उस दिशा में एक कदम है। हम इस गति को बरकरार रखेंगे और अधिकारियों और खिलाड़ियों को सुविधाओं का प्रावधान करवाएंगे ताकि वह पूरी तरह से सक्षम हो पाएं।

इस कार्यशाला को दो भागों में विभाजित किया गया था। सैद्धांतिक और व्यावहारिक। इस कार्यशाला के दूसरे दिन चिकित्सा परीक्षण का भी आयोजन किया गया।

HPPWD NOTICE INVITING TENDER
BHARWAIN DIVISION HPPWD
BHARWAIN TEHSIL AMB DISTRICT UNA (H.P)

Sealed tender item rates basis are hereby invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh by the Executive Engineer Bharwain Division, HPPWD, Bharwain Tehsil Amb Districk Una (HP) from the experienced contractors/firms enlisted in appropriate class with Himachal Pradesh, PWD for the following works. The tender shall be receieved in his office on or before 20.03.2017 up to 10.30 A.M and shall be opened in the same day at 11.00 A.M in the presence of contractor /firms or their outhorized representatives, who wish to be present at the time of opening of tenders. The tender applications shall be entertained and tender from shall be sold up to two days before the date of opening of tender i.e 17.03.2017 up to 12.00 noon Draft notice inviting tenders/Drawing/ Specifications can be seen in the office of the Executive Engineer on any working day between 11.00 A.M to 4.00 P.M. Ambiguous/ Telegraphic/Cobditional tenders or tender by Fax shall not be entertained/considered in any case. The earnest Money in the shape of National saving Certificate/ Time Deposit account /FDR in any of the post office in H.P./ Nationalized Bank duly pledged in favour of Executive Engineer must be accompanied with the application. Conditional tenders and the tenders received without earnest Money will out rightly be rejected. The Contractor shall accompany his enlistment/renewal orders with his application for obtaining the tender documents. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reasons. The work will be completed by the contractor within the stipulated period. The contractor will have to submit his registration under the H.P. General Sale Tax Act 1968 and also labour license under contract Act 1970 from the comnpetent authority. The Contractors/firms are requested to insert the rate of each item in words as well as figures, failing which XEN reserves the right to accept/ reject any or overall tenders. The tender shall only be issued to those contractors/firms, who are found eligible/ suitable and comprtent as per the above conditions. The offer shall be remain valid up to 45 days afterv the opening of tender. If any of the date mentioned above happens to be Local/ Gazetted holidays the same shall be process on next date.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Form No.	Cost of form	Class of Contractor
1.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on Takarla to upper takarla road km 0/0 to 1/0 (VR0033)	673991/-	13500/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
2.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on NMT road to Anddora Upperla km 3/0 to 4/0 (VR0040)	705665/-	14200/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
3.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on link road Chururu to Panjawar km 0/0 to 0/980 (VR0129)	660520/-	13300/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
4.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on NH-70 to Kherla km 1/027 to 2/500 (VR0044)	992800/-	19900/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
5.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on Karluhi to Amb Tilla road km 1/027 to 2/500 (VR0044)	673991/-	13500/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
6.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on Karluhi to Bhatolan Padhar road km 1/0 to 2/0 (VR0049)	705665/-	14200/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
7.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on T001 SH-25 to Lower Mubarikpur km 1/0 to 2/0 (VR0011)	673991/-	13500/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
8.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on link road State Head Rest House Store & Colony Bharwain km 0/0 to 0/550 (VR0109)	388077/-	7800/-	15 days	PWD-8	350/-	Class D&C
9.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on link road to village Ambota km 0/0 to 0/639 (VR0086)	450920/-	9100/-	15 days	PWD-8	350/-	Class D&C
10.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on link road to village Saghnai km 0/0 to 0/600 (VR0087)	404346/-	8100/-	15 days	PWD-8	350/-	Class D&C
11.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on Bhaderkali to Pirthipur via Dangoh km 0/0 to 1/0 (VR0070)	673991/-	13500/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
12.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on link road to Brahmpur to Bhaderkali via Bhudda Mata hariojan Basti km 1/0 to 2/0 (VR0073)	705665/-	14200/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
13.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on link road to village Nari km 0/0 to 1/0 (VR0065) under PMGSY	673991/-	13500/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
14.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on Kalu Di Bar to Godri Sidh km 0/0 to 1/0 (VR0085) under PMGSY	705665/-	14200/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C
15.	Periodical renewal cot 25mm thick bituminous concrete with paver on link road ladla to Nara Dukki upto HP Boundary km 2/0 to 3/0 (VR0080)	705665/-	14200/-	One month	PWD-8	350/-	Class D&C

Adv. No.- 4246/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा त्रच्चा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या अर्की वीरभद्र के लिए सुरक्षित चुनाव क्षेत्र है

शिमला/जे पी भारद्वाज

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अर्की विधानसभा हलके से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है ये ऑफर अर्की विधानसभा हलके के बेहद लोकप्रिय व ताकतवर मंत्री रहे स्व. हरिदास ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित समारोह में हरिदास के छोटे बेटे राजेंद्र ठाकुर की ओर से दिया गया है।

राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर अर्की की बिखरी कांग्रेस को एकजुट करना हैं तो हॉलीलॉज के किसी सदस्य को से चुनाव लड़ना चाहिए। ठाकुर ने कुनिहार के ऐतिहासिक ताल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पिता स्व. पदम देव के नाम से एक स्टेडियम बनाया हैं। हालांकि इस पर विवाद रहा लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया व अपने स्व.पिता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस ताल में पूर्व मंत्री हरिदास के कार्याकाल में किश्तियां भी चला करती थी। यहां स्टेडियम बनाने को लेकर उनके एक पुत्र जो भाजपा में हैं, खिलाफ थे। मामला हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट भी गया।

स्व. मंत्री के तीन बेटे इंद्र सिंह ठाकुर, विजय सिंह और अमरसिंह ठाकुर इस समारोह से नदारद रहे। इंद्र सिंह ठाकुर पहले हिविकां में रह चुके हैं व इन दिनों वो राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के करीबी हैं। जबकि अमर सिंह व विजय सिंह धूमल के करीबी हैं। समझा जा रहा है कि संभवत: राजनीतिक

कारणों से ये तीनों पुत्र समारोह में शामिल नहीं हुए होंगे। व्यक्तिगत वजहें भी हो सकती हैं। ऐसे में हॉलीलॉज के किसी सदस्य को अर्की से चुनाव लड़ने के लिए न्यौता देना अपने आप अजीब लगता है।

इस मौके पर अर्की कांग्रेस के वीरभद्र विरोधी धड़े के नेता भी शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार व पिछली बार कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए संजय अवस्थी समारोह में शामिल नहीं हुए। इसी तरह से अर्की से पार्टी के नेता सतीश भी शामिल नहीं हुए। वीरभद्र समर्थकों के अलावा कई और स्थानीय नेता भी नहीं थे।

इससे साफ हो जाता है कि अर्की कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक समारोह के बाद सीएम ठाकुर के घर गए व समझा जा रहा है कि वहां हॉलीलॉज के किसी सदस्य को अर्की से उतारने पर गुफ्तगू हुई होगी। विक्रमादित्य को शिमला ग्रामीण से उतारा जा रहा हैं। ऐसे में सीएम वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को सेफ सीट की दरकार है। चौपाल, शिमला, कुसुम्पटी और ठियोग ही वो हलके बचे हैं, जहां से हॉलीलॉज के सदस्य आगामी चुनावों में भाग्य आजमा सकते हैं। ये जहां से दावेदारी पेश करेंगे, पार्टी में विद्रोह जरूर होगा। अर्की में क्या होगा ये आज के ही समारोह में साफ हो गया। शिमला में आनंद शर्मा ग्रुप सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हैं। यही स्थिति बाकी हलकों में भी हैं।

कुनिहार में अर्की से चुनाव लड़ने को लेकर मिले ऑफर के बाद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में सुगबुगहाट शुरू हो गई हैं। अर्की के ही बहुत से ऐसा नेता हैं जो नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां से चुनाव लड़े। सोनिया राहुल दरबार से सीधे जुड़े प्रकाश करड़ को लोगों ने हरा दिया। इसके बाद संजय अवस्थी जो सोलन में रहते हैं, उन्हें भी पिछली बार हराकर भाजपा के गोविंद शर्मा को जीता दिया। जबकि गोविंद शर्मा प्रभावशाली नेता नहीं हैं। ऐसे में अगर प्रतिभा सिंह व वीरभद्र सिंह इस हलके से चुनाव लड़ते हैं तो ,क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सरकार का खुफिया विभाग एक अरसे से यही फीड बैक दे रहा है वीरभद्र सिंह अर्की से चुनाव लड़ेंगे व यही उनके लिए सेफ सीट हैं।

कितनी सेफ है ये उनके कार्यक्रम में जिस तरह कांग्रेसी नेता नदारद रहे उससे साफ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपना बेस मजबूत रखने के लिए कुनिहार को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन सोशल मीडिया में इसकी प्रतिक्रया भी आ गई कि दाड़ला में खोली उप तहसील तो ढंग से चल नही रही है अब एक और उपतहसील का शिगूफा छोड़ दिया।

उन्होंने घुनागुघाट तथा मांजु में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा की व कहा कि ठाकुर तथा इनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के प्रयासों की बदौलत ही पिछले 20 सालों से सूखे पड़े तालाब को आज यहां सुन्दर स्टेडियम में परिवर्तित किया गया है।

उन्होंने कहा कि षड्यंत्रों में लिप्त लोग कभी सफल नहीं होते हैं और अंत में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग मेहनती है और साजिशों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं।

पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य व कुनिहार के पूर्व प्रधान राजेन्द्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अर्की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों की आम राय है और वे वीरभद्र सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव में अर्की से कांग्रेस का उम्मीदवार देखना चाहते हैं।

उन्होंने अर्की व कुनिहार में कांग्रेस के लोगों से एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने मांजु पंचायत के पलोग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आग्रह किया।

जनजातीय क्षेत्र बने तीव्र विकास व खुशहाली के साक्षी–केन्द्रिय योजनाओं का प्रभाव आया सामने

शिमला/जे पी भारद्वाज

प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों के लिये केन्द्र सरकार से शतप्रतिशत सहायता प्राप्त होती है। इसमें राज्य सरकार के अपने खजाने पर कोई बोझ नही पडता है। जबकि प्रदेश के शेष भाग के लिये 90:10 के अनुपात से प्लान के लिये पैसा केन्द्र से मिलता है। प्लान के लिये राज्य सरकार को अपने साधनों से केवल 10% का ही निवेश करना पडता है और 90% धन केन्द्र से मिलता है। लेकिन नॉन प्लान का पूरा खर्च राज्य सरकार को अपने संसाधनों से जुटाना पडता है। जनजातिय क्षेत्रों के लिये केन्द्र से ट्राईबल सब प्लान के नाम पर शतप्रतिशत धन का प्रावधान रहता है। परन्तु केन्द्र का यह पैसा राज्य सरकार कैसे खर्च कर रही है इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है इस समय जनजातिय क्षेत्रों में जिस तरह के विकास कार्य सामने आ रहे है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है। कि केन्द्र के धन का निवेश इन क्षेत्रों में सही दिशा में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर इन क्षेत्रों के तीव्र विकास पर प्रदेश सरकार विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न विकास योजनाएं, नीतियां व कार्यक्रम जनजातीय लोगों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान करने में मील पत्थर साबित हो रही हैं।

सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। विकास के विभिन्न मानकों से यह स्पष्ट है कि सरकार के सतत् प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और राज्य के जनजातीय क्षेत्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के समान आर्थिक उत्थान, विकास एवं समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जो पहले विकास की दौड़ में कहीं पीछे थे, वहां परिस्थितियां बदली है। इन क्षेत्रों में सड़क, शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों के वृहद् नेटवर्क के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

समय के साथ-साथ राज्य योजना से जनजातीय उप-योजना के लिए धनराशि में व्यापक वृद्धि की गई है। वर्तमान में राज्य योजना का कुल नौ प्रतिशत इस पर खर्च किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2012.13 में जनजातीय उप-योजना का आकार 333 करोड़ रुपये था जिसे वर्तमान वित्त वर्ष में बढ़ाकर 468 करोड़ रुपये किया गया है।

सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले तीव वित्तीय वर्षा में परिवहन क्षेत्र में 43.70 करोड़ रुपये, सड़कों व पुलों पर 49.09 करोड़ रुपये और भवन निर्माण पर 59.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि 2016-17 के लिए 62.09 करोड़ रुपये का प्रावधाान किया गया है।

जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को तीव्र गति से कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति तथा जिला व उप-मण्डल स्तर की समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा, ग्राम स्तर पर 16,707 वन अधिकार समितियों का भी गठन किया जा चुका है। शिमला के सहयोग से लगभग 200 अधिकारियों को शिमला, मण्डी और धर्मशाला में जबकि जिला स्तरीय समिति में नव निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्यों को शिमला में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में अनेक शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थान खोले व स्तरोन्नत किये है तथा सड़कों, सिंचाई योजनाओं एवं अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश में अभी तक 1890.11 हैक्टेयर भूमि पर सामुदायिक वन अधिकार चिन्हित किए गए है। जिला किन्नौर के पूह में मिनी सचिवालय और चांगो में हेलीपेड का निर्माण करवाया गया है। लाहौल स्पिति जिला के पांगी में पथ परिवहन निगम का उप-डिपो व उदयपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है। क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में बिस्तरों की क्षमजा बढ़ाकर 125 की गई है तथा काजा, भरमौर व किलाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल बनाया गया है। छितकुल व निगुलसरी में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लाबरंग व सांगपा में नए स्वास्थ्य उप-केंद्र खोले गए हैं।

विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लाहौल स्पिति जिला के क्षेत्रीय अस्पताल लाहौल और नागरिक अस्पताल काजा में टेली-मेडिसीन केंद्र खोले गए हैं। पिछले चार वर्षा की अवधि में जन जातीय क्षेत्रों में 16 उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, 11 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च पाठशाला और पांच प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओ में स्तरोन्नत किया गया।

वर्ष 1974-75 में आरम्भ की गई जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत अधिकांश जनजातीय लोगों को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1987-88 में जनजातीय उप-योजना के तहत शत-प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या को शामिल किया गया। वार्षिक बजट में एकल समेकित मांग अपनाने तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में सिंगल लाईन प्रशासन प्रणाली को लागू किया गया जिससे जनजातीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास तेजी से सुनिश्चित हुआ।

जनजातीय उप-योजना को और अधिक आवश्यकता आधारित, व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने तथा योजना प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के लिए समेकित जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) आरम्भ की गई है और आईटीडीपी को योजना इकाई के तौर पर लिया गया है।

वर्ष 1986 में पांगी क्षेत्र के लिए सिंगल लाईन प्रशासन को आरम्भ किया गया, जबकि समूचे जनजातीय क्षेत्र में यह प्रणाली वर्ष 1988 में आरम्भ की गई। प्रदेश में अप्रैल, 2013 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार परिषद् गठित की गई जिसकी संस्तुतियों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही जनजातीय क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान की। इसके लिए, विशेष अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया गया और जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ की गई। विभिन्न विभागों के सभी पदों व सेवाओं के लिये दुर्गम क्षेत्र उप-कैडर बनाया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। वर्तमान सरकार ने शीतकालीन तथा जनजातीय भत्ते को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह किया है। जिन कर्मचारियों ने जनजातीय क्षेत्रों में सेवा अवधि के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं, उन्हें वर्षवार अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जा रहा है।